रजिस्टर्ड सं० डी०(डी०)-73

REGISTERED No. D.(D.)-73

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21] नई दिल्ली, शनिवार, मई 22, 1976/ज्येष्ठ 1, 1898
No. 21] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 22, 1976/JYAISTHA 1, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
**Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.**

## भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
## PART II—Section 3—Sub-section (i)

**(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।**

**General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).**

---

### राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 1976

**राष्ट्रपति सचिवालय (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1976**

सा० का० नि० 686—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली अन्य सब शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति सचिवालय के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात —

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ —(क) इन नियमों का नाम राष्ट्रपति सचिवालय (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1976 है।

(ख) ये 1 अप्रैल, 1976 को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं —इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "प्रतिनियुक्ति" से सचिवालय से बाहर के किसी कार्यालय में किसी अधिकारी की सेवाओं का सचिवालय में और इसके विपरीत क्रम से अस्थायी स्थानान्तरण अभिप्रेत है जहां स्थानान्तरण के निबन्धनों को समय-समय पर यथासंशोधित वित्त मंत्रालय ज्ञापन सं० फा० 10(24)-ई III/60, तारीख 14 मई, 1961 में अन्तर्विष्ट केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अधीन विनियमित किया जाता है,

(ख) "अधिकारी" से सचिवालय के काडर में नियुक्त या धारित व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ग) "पद" से सचिवालय में पद अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत निम्नलिखित आते हैं —

(i) कोई सिविलियन पद जो अनुसूची I में विनिर्दिष्ट है;

(ii) कोई महावसानी पद जो अनुसूची II में विनिर्दिष्ट है;

(iii) कोई सावधिक पद जो अनुसूची III में विनिर्दिष्ट है तथा सचिवालय में कर्तव्यार्थ तैनात, रक्षा सेवाओं के किसी अधिकारी द्वारा धृत है;

(घ) "राष्ट्रपति" से भारत के राष्ट्रपति अभिप्रेत है,

(ङ) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;



20GI/76—1

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 1976

सा० का० नि० 704.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति आकाशवाणी (श्रेणी-3 पद) भर्ती नियमावली, 1964 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं ; अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को आकाशवाणी (श्रेणी-3 पद) भर्ती (संशोधन) नियमावली, 1976 कहा जा सकेगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आकाशवाणी (श्रेणी-3 पद) भर्ती नियमावली, 1964 की अनुसूची में, क्रम संख्या 71 तथा इससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

अनुसूची

| क्रम संख्या | पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | प्रवरण पद अथवा अप्रवरण पद | सीधे भर्ती किए जाने वालों के लिए आयु सीमा | सीधे भर्ती किए जाने वालों के लिए शैक्षिक तथा अन्य अपेक्षित अर्हताएं । |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 72. | उपसम्पादक 'नभोवाणी' | 1 | सामान्य केन्द्रीय सेवाएं 'ग्रुप सी' अराजपत्रित अलिपिक वर्गीय | 470-15-530-द० रो०-20-650-द०रो०-25-750 रुपए | लागू नहीं होता | *21 से 25 वर्ष के बीच | आवश्यक :<br>(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पत्रकारिता में डिप्लोमा ।<br>(2) अंग्रेजी/हिन्दी से गुजराती में अनुवाद करने और लिखने की योग्यता और दक्षता ।<br>(3) अच्छा सामान्य ज्ञान जिसमें राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं और भारतीय और विदेशी विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में जानकारी भी शामिल है ।<br>वांछनीय :<br>(1) कुछ समाचारपत्रों या समाचार-एजेंसी या अन्य नियतकालिक प्रकाशनों में कम से कम दो वर्ष का अनुभव । |

| क्या सीधे भर्ती किए जाने वालों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नती व्यक्तियों के मामले में भी लागू होंगी ? | परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो । | भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता । | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती किए जाने के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है । | यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसका गठन क्या है । | वे परिस्थितियां जिन में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना होता है । |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| लागू नहीं होता | 2 वर्ष | सीधी भर्ती | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

*टिप्पणी :—"प्रत्येक मामले में, भर्ती नियमावली के कालम 7 में निर्दिष्ट आयु सीमा के निर्धारित करने की निर्णायक तारीख भारत (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को छोड़ कर) के उम्मीदवारों से आवेदन-पत्रों के प्राप्त होने की अंतिम तारीख होगी ।
जिन पदों पर नियुक्तियां रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाती हैं, उनके बारे में आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख प्रत्येक मामले में, वह तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा जाता है ।"

[फाइल संख्या 1/3/73-बी(ए)]
मोहन लाल टंडन, अवर सचिव

New Delhi, the 28th April, 1976

G. S. R. 704.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules, 1964, namely:—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Class III posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Schedule to All India Radio (Class III Posts) Recruitment Rules, 1964, after the serial number 71 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

SCHEDULE

| Sl. No | Name of Post | No. of Post | Classification | Scale of pay | Whether Selection post or Non-Selection post | Age limits for direct recruits | Educational & other qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 72. | Sub-Editor, 'Nabhovani' | One | General Central Services 'Group C' Non-Gazetted Non-Ministerial | Rs. 470-15-530-EB-20-650-EB-25-750. | Not applicable | *Between 21 and 25 years. | Essential: (i) Degree of a recognised University or diploma in Journalism from a recognised Institute. (ii) Proficiency and ability to write and translate from English/Hindi into Gujarati. (iii) Good general knowledge including information about national and international events and Indian as well as foreign personalities. Desirable: (i) Atleast two years experience with some Newspapers or News Agency or other periodical publications. |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. | Period of probation, if any | Method of recruitment whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made. | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition. | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Not applicable | Two years | Direct Recruitment | Not applicable. | Not applicable | Not applicable. |

NOTE:—*"The crucial date for determining the age limit mentioned in Col. 7 of the Recruitment Rules will in each case, be the closing date for receipt of applications from candidates in India (Other than Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep).

In respect of posts, the appointments to which are made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit will in each case, be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names."

[File No. 1/3/73-B(A)]

M. L. Tandon, Under Secy.

## निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 1976

सा०का०नि० 705.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक, फोटोलिथो पक्ष (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) भर्ती नियम, 1974 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम, भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक, फोटोलिथो पक्ष (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक, फोटोलिथो पक्ष (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) भर्ती नियम, 1974 की अनुसूची में—

(क) ज्येष्ठ कलाकार के पद के सामने—